

निदेशालय विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: C- 878 / वि0क0 / बचपन / मुख्य-पत्रा0 / 2014-15 दिनांक: 12 जून, 2014

समस्त समन्वयक,  
बचपन डे केयर सेन्टर,  
उत्तर प्रदेश।


निदेशालय के पत्र संख्या- सी-2033/वि0क0/सर्व शिक्षा अभि0/2007-08 दिनांक-06.06.2007 के द्वारा बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन एवं ग्रीष्मावकाश हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। उसी आधार पर प्रत्येक वर्ष में ग्रीष्मावकाश एवं तद्सम्बन्धी कार्यों हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

- 1-दिनांक 20 मई 2014 से 30 जून 2014 तक बच्चों के लिए ग्रीष्म अवकाश रहेगा।
- 2-11 जून, 2014 से 24 जून, 2014 तक सेन्टर में कार्यरत कोआर्डिनेटर/विशेष शिक्षकों आदि अन्य कार्मिकों का ग्रीष्म अवकाश रहेगा।
- 3- 25 जून, 2014 को कोआर्डिनेटर/विशेष शिक्षक सेन्टर में पुनः उपस्थित हो जायेंगे तथा 01 जुलाई, 2014 को सेन्टर के खुलने के पूर्व समस्त तैयारियों सम्पन्न करेंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रीष्मावकाश में दिनांक 10.06.2014 तथा दिनांक 25.06.2014 से 30.06.2014 तक अवधि में समन्वयक तथा विशेष शिक्षकों द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे :-

- 1- विशेष बच्चों के घर जा कर होम विजिट करना तथा उनके अभिभावकों से बच्चों की प्रगति तथा समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना।
- 2- वर्ष 2014-15 के लिए पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अथवा उसमें संशोधन आदि करते हुए नवीन पाठ्यक्रम निर्धारित कराना।
- 3- सेन्टर में कार्यरत अटेंडेन्ट के सहयोग से सेन्टर के प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रित पोस्टरों को शहर के मुख्य स्थानों पर चिपकाया जाना।
- 4- बचपन डे केयर सेन्टर की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये बच्चों को चिन्हित किया जाना।
- 5- 26 जून, 2014 से 30 जून, 2014 के मध्य सेन्टर को आगामी शैक्षिक सत्र के लिए पूरी तरह तैयार करना, अपने अपने कक्ष को सुसज्जित करना तथा अभिलेखों को तैयार करना।
- 6- सामान्य स्कूलों में प्रवेश कराये जाने योग्य बच्चों को तदनुसार प्रवेश दिलाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना।


उक्तानुसार बचपन डे केयर सेन्टर्स में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

  
(अनिल कुमार सागर)  
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त उपनिदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 2-सम्बन्धित जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

  
(एस0 के0 श्रीवास्तव)  
उपनिदेशक,  
कृते निदेशक।

निदेशालय विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक: ए-8 78 / वि०क० / बचपन / मुख्य-पत्रा० / 2014-15 दिनांक: 12 जून, 2014

समस्त समन्वयक,  
बचपन डे केयर सेन्टर,  
उत्तर प्रदेश।

निदेशालय के पत्र संख्या- सी-2033 / वि०क० / सर्व शिक्षा अभि० / 2007-08 दिनांक-06.06.2007 के द्वारा बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन एवं ग्रीष्मावकाश हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं। उसी आधार पर प्रत्येक वर्ष में ग्रीष्मावकाश एवं तद्सम्बन्धी कार्यों हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं।

- 1-दिनांक 20 मई 2014 से 30 जून 2014 तक बच्चों के लिए ग्रीष्म अवकाश रहेगा।
- 2-11 जून, 2014 से 24 जून, 2014 तक सेन्टर में कार्यरत कोआर्डिनेटर/विशेष शिक्षकों आदि अन्य कार्मिकों का ग्रीष्म अवकाश रहेगा।
- 3- 25 जून, 2014 को कोआर्डिनेटर/विशेष शिक्षक सेन्टर में पुनः उपस्थित हो जायेंगे तथा 01 जुलाई, 2014 को सेन्टर के खुलने के पूर्व समस्त तैयारियों सम्पन्न करेंगे।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्रीष्मावकाश में दिनांक 10.06.2014 तथा दिनांक 25.06.2014 से 30.06.2014 तक अवधि में समन्वयक तथा विशेष शिक्षकों द्वारा निम्न कार्य सम्पादित किये जायेंगे :-

- 1- विशेष बच्चों के घर जा कर होम विजिट करना तथा उनके अभिभावकों से बच्चों की प्रगति तथा समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना।
- 2- वर्ष 2014-15 के लिए पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अथवा उसमें संशोधन आदि करते हुए नवीन पाठ्यक्रम निर्धारित करना।
- 3- सेन्टर में कार्यरत अटेंडेन्ट के सहयोग से सेन्टर के प्रचार-प्रसार हेतु मुद्रित पोस्टरों को शहर के मुख्य स्थानों पर चिपकाया जाना।
- 4- बचपन डे केयर सेन्टर की क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये बच्चों को चिन्हित किया जाना।
- 5- 26 जून, 2014 से 30 जून, 2014 के मध्य सेन्टर को आगामी शैक्षिक सत्र के लिए पूरी तरह तैयार करना, अपने अपने कक्ष को सुसज्जित करना तथा अभिलेखों को तैयार करना।
- 6- सामान्य स्कूलों में प्रवेश कराये जाने योग्य बच्चों को तदनुसार प्रवेश दिलाने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना।

उक्तानुसार बचपन डे केयर सेन्टर्स में प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(अनिल कुमार सागर)  
निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-समस्त उपनिदेशक, विकलांग कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 2-सम्बन्धित जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(एस० के० श्रीवास्तव)  
उपनिदेशक,  
कृते निदेशक।